न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
लोक भूमि अतिक्रमण अपीलवाद संख्या–76/2018
राम नारायण यादव –बनाम– बिहार सरकार (अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30/11/2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत लोक भूमि अतिक्रमण अपीलवाद अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा के वाद संख्या–15/17–18 में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 की धारा–3 के तहत निर्गत नोटिस के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर वाद आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख सं0–15/17–18 की मांग अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान से की गयी, जो प्राप्त है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि मौजा झझड़ा, थाना नं0–261, अंचल कुशेश्वरस्थान के खाता नं0–57 पु0, खेसरा नं0–1018 पु0, 1482 नया, रकबा–0.12 डी0 एवं खाता सं0– 1 पु0, खेसरा सं0–1019 पु0, 1483 नया, रकबा 0.1 डी0 के वासगीत पर्चाधारी है। उक्त वासगीत पर्चा कर्मचारी एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी के पक्ष में वाद सं0–13/1978–79 से निर्गत है तथा दखल–कब्जा में है। वाद सं0–15/17–18 में अतिक्रमण अधिनियम के तहत निर्गत नोटिस तथ्यसंगत नहीं है। जहाँ तक खेसरा संख्या पुराना 1018 एवं 1019 का प्रश्न है वह झझड़ा महन्थ राम अवतार दास की भूमि थी। अपीलार्थी के पिता स्व0 रघुनी रादव महन्थ रैयत थे। उनकी जमीन को बटाईपर लेकर खेती कर गुजर–बसर करते थे। महन्थ राम अवतार दास के बाद उनके चेले सुरिवत्तम दास की मृत्यु के पश्चात मठ ट्रस्ट बोर्ड में चला गया। ट्रस्ट बोर्ड के पंजी के द्वारा दखल–कब्जा एवं बटाई का प्रमाण पत्र दिया गया। पुनः कथन है कि इस संबंध में एक बटाईदारी वाद सं0–630/71–72 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर के न्यायालय में चला, जिसमें दिनांक 25.06.1976 को उनके पक्ष में आदेश पारित है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् खाता खेसरा की भूमि लोक भूमि परिभाषित है, जिसके संबंध में अंचल अधिकारी के लोक भूमि अतिक्रमण वाद सं0–15/17–18 में विहित कार्रवाई अंकित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक भूमि का अतिक्रमण किया गया है। अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2018 एवं बिन्दुवार प्रतिवेदन पत्रांक 712 दिनांक 04.07.2018 में स्पष्ट किया है कि रघुनी यादव के पुत्र क्रमशः रामानुज यादव उर्फ अनुज ना0 यादव एवं राम ना0 यादव है। इन तीनों के नाम अलग–अलग वासगीत पर्चा निर्गत होने की बात	

ज्ञात हुआ। श्री रामानुज यादव कम्युनिष्ट पाटी के नेता हैं। वर्ष 2001 से 2006 तक ये ग्राम पंचायत पकाही–झझड़ा के मुखिया रहे हैं। इनके कार्य काल में सरकारी राशि से पशु–शेड/पुस्तकालय आदि निर्माण की बात प्रकाश में आया। जिससे संबंधित अभिलेख वो विवरण वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही योजना के नाम के संबंध में एकमत नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गयी है। जाँच से यह भी स्पष्ट हुआ कि भू–हदबन्दी वाद सं0–52/73–74 के द्वारा मौजा झझड़ा के अन्तर्गत खाता सं0–261, खेसरा सं.–1018, 1019 को दिनांक 25.06.1976 को अधिशेष घोषित किया गया, जो जिला गजट समस्तीपुर के द्वारा प्रकाशित किया गया तो उक्त के आधार पर प्रश्नगत् भूमि लोक भूमि हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर के न्यायालय में दायर बटाईदारी वाद स्वतः विलोपित समझी जा सकती है। यह भी बात प्रकाश में आया है कि उक्त भूमि का नया खेसरा 1482 का वासगीत पर्चा पत्नी (महेश्वरी देवी), पुतोह (प्रियंका देवी) के नाम बनाया गया। जबकि अतिक्रमणकारी प्रश्नगत् भूमि को बटाईदारी से प्राप्त बताते हैं, जो एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं। वर्णित भूमि पर संबंधित व्यक्तियों का दावा उचित प्रतीत नहीं होता है।

वाद में निहित लोक भूमि पर इनका अवैध दखल–कब्जा है। इसीलिए वाद की कार्रवाई के क्रम में दिनांक 11.05.2018 को अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया गया है। इसलिए विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है। अतः अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान के अभिलेख सं0–15/17–18 में निर्गत नोटिस को निरस्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा झझड़ा, थाना नं0–261, खाता नं0–57, 1 पु0, खेसरा नं0–1018, 1019 की भूमि भू–हदबन्दी वाद सं0–52/73–74 के द्वारा अधिशेष घोषित किया गया, जो जिला गजट समस्तीपुर के द्वारा प्रकाशित किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि लोक भूमि है। इस परिस्थिति मे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर के न्यायालय में दायर बटाईदारी वाद स्वतः विलोपित हो जाता है। साथ ही प्रश्नगत् भूमि का वासगीत पर्चा तथा उक्त भूमि का बटाईदारी से प्राप्त होना अपीलार्थी के दावे का समर्थन नहीं करता है। अतः अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

30/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।